ई–मेल द्वारा

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0

परिपत्रांकः सीः–07/ कृषि निवेश /बी–302 :: दिनांक :: जून , 24 2020

1. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबंधक,
   सहकारिता उ0प्र0।

2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैंक लि0 उ0प्र0।

3. समस्त जिला प्रबन्धक
   पीसीएफ उत्तर प्रदेश ।

4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एंव
   संयुक्त निबन्धक
   सहकारिता उ0प्र0।

विषय :–वर्ष 2020–21में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना सम्बधी निर्देश ।

सहा· आ0 एवं सहा· निबं· (कम्प्यूटर)
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (कम्प्यूटर)
प्रभारी/DTC
ACCAR
पं0 28/डी·टी·सी
दि· 30/6/2020

प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1346/49–3–2020–100(9)/2012 सहकारिता अनुभाग–3 दिनांक 15.06.2020 द्वारा वर्ष 2020–21 मे यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरको के अग्रिम भण्डारण योजना के अर्न्तगत होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कियें जाने के सम्बन्ध मे विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे वर्ष 2020–21 मे उर्वरको की प्रीपोजीशनिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध मे आहूत बैठक दिनांक 17.03.2020 मे लिये गये निर्णय के कम मे उ0प्र0 शासन, सहकारिता अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 785–49–3–2020दिनांक 20.03.2020 के द्वारा पीसीएफ को वर्ष 2020–21 मे 5.00 लाख मै0टन यूरिया एवं 4.00 लाख मै0टन फास्फेटिक उर्वरको के माहवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रीपोजीशनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। तदकम में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 1287/कृ0नि0 दिनांक 27.03.2020 द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु प्रिपोजीशनिंग के जनपद वार लक्ष्य निर्धारित कर सूचित किये गये हैं, जिसके अनुसार उर्वरको की प्रीपोजीशनिंग की जानी है।

खरीफ अभियान में जनपदों में यूरिया के वितरण लक्ष्य/आवश्यकतानुसार सामान्य योजनान्तर्गत उर्वरक मंगाने/आपूर्ति करने का प्रयास किया जाये तथा प्रीपोजिशनिंग योजनान्तर्गत भण्डारित की गई यूरिया रबी अभियान की पीक मांग हेतु सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाये। अपरिहार्य स्थिति में खरीफ अभियान में दिनांक 01 जुलाई 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक तत्समय भंडारित स्टाक का अधिकतम 33 प्रतिशत यूरिया का वितरण किया जा सकता है। इससे अधिक वितरण किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगा तथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जायेगी। रबी अभियान में प्रीपोजिशनिंग योजनान्तर्गत भण्डारित यूरिया का वितरण 01 दिसम्बर से प्रारम्भ किया जाये ।

इसी प्रकार उपरोक्तानुसार प्रीपोजिशनिगं योजनान्तर्गत भण्डारित की गयी फास्फेटिक उर्वरको का वितरण दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से किया जाये, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि फास्फेटिक उर्वरको की आपूर्ति विक्री केन्द्रो पर माह सितम्बर 2020 से प्रारम्भ करा दिया जाये। पीसीएफ स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदो मे उनकी मॉग के अनुरूप फास्फेटिक उर्वरको (डीएपी {18:46} तथा एनपीके {12:32:16}) का ही भण्डारण प्रीपोजीशनिंग योजना के अर्न्तगत किया जायेगा। प्रीपोजीशनिंग योजना से सम्बन्धित उर्वरको का पूर्व भण्डारण पीसीएफ बफर गोदामो तथा अतिरिक्त भण्डारण क्षमता वाली पैक्स समितियो मे किया जाये। प्रीपोजीशिनिग योजना के अन्तर्गत जिन रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण किया जाये, उनकी बिक्री यथा समय की जाये, ताकि बैंकों से लिए गये ऋण पर व्याज एवं अधिक समय तक किये जाने वाले भण्डारण के कारण भण्डारण शुल्क में वृद्वि न हो सके। यदि बिलम्ब के कारण बैंक व्याज एवं भण्डारण शुल्क में जो भी वृद्वि होगी, तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

2–<u>पूर्व–भंडारण हेतु उर्वरक कय की धनराशि पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में–</u>

(क) यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशंनिग योजना के अन्तर्गत पीसीएफ एवं पैक्स को उनके द्वारा निवेश की गयी धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अनधिक होगा, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। पूर्व भंडारण पर प्रदायकर्ताओं से प्राप्त उर्वरकों का भुगतान पीसीएफ के स्तर पर उक्त आशय हेतु खोले गये एक खाते से किया जाएगा। इस खाते से पूर्वभंडारण योजना के अधीन प्रदायकर्ताओं से कय उर्वरकों का भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान के अतिरिक्त पीसीएफ के द्वारा इस खाते से कोई अन्य वित्तीय व्यवहार नहीं किया जाए।

(ख) उर्वरकों के पूर्वभंडारण हेतु पीसीएफ द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋणसीमा/बैक लिमिट प्राप्त की जाती है। नोडल एजेंसी पीसीएफ एंव आयुक्त एंव निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में वित्तीय सलाहकार, सहकारिता उ0प्र0,लखनऊ सभी इच्छुक बैंक जिसमें सहकारी बैंक भी होंगे से नेगोशिएशन का कार्य करेंगे। नेगोशिएसन उपरान्त आयुक्त एंव निबन्धक सहकारिता की अनुमति प्राप्त कर पीसीएफ द्वारा ऋणसीमा प्राप्त की जायेगी। ऋणसीमा पर ब्याज दर 11.25 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक होगी।

(ग) प्रीपोजिशंनिग योजना में उर्वरक भण्डारण हेतु अतिरिक्त भण्डारण क्षमता वाली समितियों का चयन सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक तथा सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक व जिला प्रबन्धक पीसीएफ करेंगे

तथा चयनित पैक्स को सामान्य उर्वरक कैश एण्ड कैरी लिमिट के अतिरिक्त रू0 10.00 लाख न्यूनतम प्रीपोजिशंनिग कैश एण्ड कैरी लिमिट स्वीकृत की जायेगी। सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स में प्रीपोजीशनिंग की कैश एण्ड कैरी लिमिट की ब्याज दर नोडल एजेन्सी पीसीएफ द्वारा इस हेतु ली गयी ऋणसीमा पर ब्याज से अधिक नहीं होगी ।

(घ) पूर्व भण्डारित उर्वरको का भुगतान आपूर्ति के पश्चात यथासम्भव तत्काल अथवा अधिकतम तीन दिन के भीतर किया जायेगा जिससे शासन पर इस हेतु ब्याज देयता का भार कम से कम पड़े। यह भुगतान कराने का दायित्व जिला प्रबन्धक पीसीएफ, सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक एवं सम्बन्धित सहायक आयुक्त एव सहायक निबन्धक सहकारिता का होगा।

प्रीपोजीशनिंग हेतु चयनित पैक्स में प्रीपोजीशनिंग संभार प्रेषण के लिए सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक सहकारिता, सचिव/ महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक एंव जिला प्रबन्धक पीसीएफ संयुक्त हस्ताक्षर से प्रदायकर्ता को समितिवार उर्वरक मात्रा सूचित करेंगे। तद्नुसार सम्बन्धित समितियों की प्रीपोजीशनिंग कैश एंण्ड कैरी ऋण सीमा खाते को डेबिट करते हुए आरटीजीएस द्वारा प्रदायकर्ता को पूर्व भुगतान कर इसका प्रमाण प्रेषित करते हुए समितियों में प्रीपोजीशनिंग स्टाक प्रेषण कराना सुनिश्चित करेंगे।समिति स्तर पर सामान्य उर्वरक संभार तथा प्रीपोजीशनिंग उर्वरक संभार का पृथक–पृथक स्टाक रजिस्टर रखा जायेगा। चयनित पैक्स मेंप्रीपोजीशनिंग योजना के अर्न्तगत उर्वरक रैक प्वाईन्ट से सीधे समिति गोदामों में प्रेषित किया जाए।

प्रीपोजीशनिंग संभार के वितरण हेतु निर्धारित अवधि में समिति द्वारा संभार अवमुक्त कराने के लिए सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जायेगा जिसपर सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक द्वारा वांछित उर्वरक संभार वितरण हेतु अवमुक्त करते हुए सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक से सम्बन्धित समिति की सामान्य उर्वरक कैश एण्ड कैरी ऋणसीमा खाते को डेविट कराकर समिति की प्रीपोजीशनिंग कैश एण्ड कैरी ऋणसीमा खाते को केडिट करा दिया जायेगा तथा समिति स्तर पर अवमुक्त स्टाक की मात्रा प्रीपोजीशनिंग स्टाक रजिस्टर से खारिज कर सामान्य उर्वरक स्टाक रजिस्टर में दर्ज कर वितरण सुनिश्चित किया जाए।

पीसीएफ बफर में किये गये प्रीपोजीशनिंग उर्वरक के ब्याज के क्लेम बिल पीसीएफ मुख्यालय से प्रत्येक माह निबन्धक कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे तथा समिति गोदामों में किये गये प्रीपोजीशनिंग उर्वरक के ब्याज के क्लेम बिल बैंक स्टेटमेन्ट के साथ समितिवार ब्याज धनराशि का

उल्लेख करते हुए सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक व सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक माह निबन्धक कार्यालय प्रेषित करेंगे। ब्याज क्लेम के बिलों के प्रेषण के साथ पीसीएफ/पैक्स द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा किजिस उर्वरक ऋण–सीमा के सापेक्ष ब्याज क्लेम बिल प्रेंषित किये जा रहे हैं उस ऋण–सीमा से केवल प्रीपोजीशनिंग उर्वरक ही कय की गयी है अन्य किसी मद में भुगतान नहीं किया गया है।

1. पूर्वभंडारित उर्वरकों के भण्डारण शुल्क की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में–

(क) शासन द्वारापीसीएफ एवं समितियों को भण्डारित यूरिया एंव फास्फेटिक उर्वरकों पर "राज्य भण्डारण निगम से न्यूनतम संभव दरों अथवा इफको द्वारा पीसीएफ को प्रदान किये जा रहें भण्डारण शुल्क में से जो भी कम हो की दर पर " देय भण्डारण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उक्त आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रत्येक क्लेम बिल में अंकित किया जाए।

(ख) प्रत्येक माह अभियानवार यथा खरीफ एवं रवी के लक्ष्य के अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के उपरांत ही पीसीएफ के स्तर पर जनपद हेतु, पूर्वभंडारण योजना में उर्वरकों की प्राप्ति स्वीकारी जाएगी, ताकि अभियान अवधि में उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण प्रभावित न हो।

(ग) प्रत्येक माह पूर्वभंडारण योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले संभार की सूचना पीसीएफ द्वारा सहायक आयुक्त एंव सहायक निबंधक कार्यालय को दी जाएगी। सहायक आयुक्त एंव सहायक निबंधक सूचना प्राप्त होने के पश्चात प्राप्त संभार का सत्यापन भी सुनिश्चित करायेंगे।

(घ) पैक्स एंव पीसीएफ द्वारा किये गये पूर्वभंडारण उर्वरक का भण्डारण शुल्क का मासिक क्लेम बिल पीसीएफ स्तर पर संकलित किया जायेगा तथा जनपद के सहायक आयुक्त एंव सहायक निबंधक से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरांत ही अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। यह क्लेम पीसीएफ के द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु अधोलिखित समय सारिणी का अनुपालन अनिवार्य होगा :–

क0सं0	विवरण	समय–सारिणी
1	समिति स्तर से पीसीएफ को भंण्डारण क्लेम बिल प्रेषण	प्रत्येक माह की 03 तारीख तक
2	पीसीएफ स्तर से स्वयं एवं समितियों के बिलों का जिला सहायक निबंधक कार्यालय को प्रेषण	प्रत्येक माह की 07 तारीख तक
3	जनपदीय सहायक निबंधक द्वारा परीक्षण के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर पीसीएफ के क्लेम बिल पीसीएफ के जनपदीय कार्यालय को वापसी तथा समितियों के क्लेम बिल निबन्धक कार्यालय को प्रेषण ।	प्रत्येक माह की 12 तारीख तक
4	जनपदीय पीसीएफ कार्यालय से पीसीएफ मुख्यालय को बिलों का प्रेषण	प्रत्येक माह की 15 तारीख तक
5.	पीसीएफ मुख्यालय से निबन्धक कार्यालय को बिलों का प्रेषण	प्रत्येक माह की 20 तारीख तक

(च) प्रत्येक माह जनपद स्तर पर पूर्वभंडारण योजना में यूरिया एवं फास्फेटिक का प्राप्त संभार तथा रिलीज संभार की पूर्ण सूचना क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक को अधोलिखित प्रारुप 'क' पर उपलब्ध करायी जाए तथा संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक द्वारा संकलित सूचना अधोलिखित प्रारुप 'ख' पर मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

(प्रारुप 'क')

माह का प्रारंभिक संभार	माह में योजनान्तर्गत प्रदायकर्तावार प्राप्त संभार	माह का कुल संभार	माह में रिलीज संभार		कुल रिलीज संभार	माह के अंत में अवशेष संभार	अभ्युक्ति
			नाम समिति	रिलीज मात्रा			

(प्रारुप 'ख')

नाम जनपद	माह का प्रारंभिक संभार	माह में योजनान्तर्गत प्राप्त संभार	माह का कुल संभार	माह में रिलीज संभार	कमिक रिलीज संभार	माह के अंत में अवशेष संभार

2. समिति स्तर पर उर्वरकों के भंडारण की व्यवस्था

(क) जिन समितियों के पास स्वयं का गोदाम है तथा गोदाम अच्छी हालत में तथा भंडारण योग्य है, पर ही उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित कराया जाए।

(ख) समिति स्तर पर भंडारित उर्वरक समिति की अभिरक्षा में होगा। भंडारित उर्वरक की सुरक्षा आदि की पूर्ण जिम्मेदारी समिति सचिव की होगी।

(ग) पूर्व भण्डारितउर्वरकों के वितरण प्रारम्भ करने की नियत तिथि से सर्वप्रथम पूर्वभंडारित संभार का वितरण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे भंडारित संभार पर व्याज तथा भंडारण शुल्क की अनावश्यक शासकीय देयता से बचा जा सके।

3. उर्वरकों के परिवहन से सम्बन्धित निर्देश :–

(क) पीसीएफ बफर गोदाम से समितियों तक पूर्व भण्डारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एंव पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य फास्फेटिक तथा यूरिया उर्वरक के वास्तविक परिवहन व्यय में प्रदाय कर्ताओं द्वारा प्रदत्त धनराशि को घटाकर अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति पीसीएफ एंव अन्य परिवहन संस्थाओं को शासन द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं हो। परिवहन कार्य हेतु अधिकृत किसी भी परिवहन संस्था के कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन मंडलीय संयुक्त निबंधक की पूर्व अनुमति के पश्चात ही किया जाएगा। सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक एवं मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबंधक परिवहन एजेंसी के परिवहन कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करेंगे तथा त्वरित प्रेषण करायेंगे।

(ख) सभी प्रकार की उर्वरकों के परिवहन पर आने वाला समस्त व्यय भार शासन और प्रदायकर्ताओं के द्वारा वहन किया जा रहा है इसलिये समितियों द्वारा परिवहन एजेंसी को परिवहन मद में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, न ही समितियों के खाते से परिवहन मद में कोई धनराशि डेविट की जाएगी।

(ग) अपरिहार्य स्थिति में समितियों द्वारा अपने संसाधनों से उर्वरकों को अपने बिक्री केन्द्र तक ले जाने पर, पीसीएफ/परिवहन समिति जिसका भी क्षेत्र हो, को शासन से अनुमन्य परिवहन व्यय समिति को देय होंगे।

4. परिवहन बिलों के भुगतान की व्यवस्था

(क) उर्वरकों के परिवहन के सापेक्ष परिवहन एजेन्सी द्वारा माहवार क्लेम बिलसभी आवश्यक प्रमाणों/संलग्नकों के साथ प्रत्येक माह की 03 तारीखतक तीन प्रतियों में तैयार कर पीसीएफ में प्रस्तुत किये जायेगे तथा पीसीएफ एवं अन्य परिवहन एजेंसी के

द्वारा तैयार बिलों पर जिला प्रबंन्धक, पीसीएफ परीक्षणोपरान्त अपने हस्ताक्षर कर सहायक आयुक्त एंव सहायक निबंधक के कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।

(ख) सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धकद्वारा पीसीएफ एवं अन्य परिवहन एजेंसी के प्रस्तुत मासिक क्लेम बिल का परीक्षण कर, प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए प्रत्येक माह की 12 तारीख तक पीसीएफ के बिलों की प्रतिहस्ताक्षरित दो प्रतियां जिला प्रबन्धक पीसीएफ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जाएगी तथा एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाए।
अन्य परिवहन एजेन्सियों के क्लेम बिलों की एक प्रति सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी व एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति परिवहन एजेन्सी को तथा एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति सभी आवश्यक प्रमाणों/संलग्नकों के साथ शासकीय स्वीकृति हेतु प्रत्येक माह की 12 तारीख तक आयुक्त एंव निबंधक कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

(ग) जिला प्रबन्धक पीसीएफ, पीसीएफ के क्लेम बिल की एक प्रमाणित प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखते हुये बिल की मूल प्रति प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ के कार्यालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे, जहॉ से क्लेम बिल शासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त एंव निबंधक कार्यालय को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किये जायें।

(घ) शासन द्वारा बिलों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्तपीसीएफ के क्लेम बिलों का भुगतान पीसीएफ को तथा अन्य परिवहन एजेन्सियों के क्लेम बिलों का भुगतान सम्बन्धित परिवहन एजेन्सी को सीधे उसके खाते में आरटीजीएस द्वारा प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु समस्त परिवहन एजेन्सियां राष्ट्रीकृत बैंक में खोले गये बैंक खाते का विवरण आयुक्त एंव निबन्धक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

(ड़) सभी कार्यालयों में पूर्वभंडारण/परिवहन का पूर्ण विवरण रखा जायें।

5 . रैक प्वाइंट से सीधे समितियों को उर्वरक प्रेषण की व्यवस्था

(क) रैक प्वाइट से सीधे समितियों को भेजे जाने वाली उर्वरकों का परिवहन भी संबधित कार्यक्षेत्र में अधिकृत परिवहन एजेसी द्वारा किया जायें।

(ख) इस प्रयोजनार्थ परिवहन दरों का निर्धारण प्रदायकर्ताओं के साथ परिवहन एजेसियों द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) रैक प्वाईन्ट से सीधे समिति पर प्रेषित उर्वरक का सम्पूर्ण परिवहन व्यय प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा इस हेतु समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवहन मद में कोई धनराशि व्यय/प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

6. आडिट – पूर्वभण्डारण योजना में व्यय धनराशि का सम्प्रेक्षण पीसीएफ का राज्य आडिट ईकाई द्वारा तथा समितियों एंव अन्य परिवहन एजेन्सियों का आडिट आयुक्त एंव निबन्धक कार्यालय के आडिट सेल द्वारा कराकर आयुक्त एंव निबन्धक सहकारिता के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायें।

7. अन्य आवश्यक निर्देश–

(क) प्रीपोजीशनिंग स्टाक गोदाम में उपलब्ध रहने के दौरान सामान्य योजनान्तर्गत उसी दर एंव प्रकार की उर्वरक प्राप्त होने पर प्राप्त संभार प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत लेते हुए प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रखे हुए संभार में से इतनी ही मात्रा का सबसे पुराना संभार सामान्य योजना में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । इसप्रकार प्रीपोजींशनिंग योजना संभार यथावत रहेगा जिससे उर्वरकों के सेट होने एंव अन्य किसी प्रकार की क्षति की संभावना न्यूनतम होगी। इसप्रकार प्रीपोजीशनिंग एंव सामान्य उर्वरक संभार में FIFO (First in First Out) का परिपालन सुनिश्चित किया जायें।

(ख) प्रीपोजीशनिंग की फास्फेटिक उर्वरक नगद कय की जाती है इसलिए इसपर देय प्रति मै0टन नकद छूट (Cash Discount) प्रदायकर्ताद्वारा देय होगी।

(ग) निर्गत होने योग्य (Releasable) प्रीपोजीशनिंग स्टाक के समाप्त होने के पश्चात ही सामान्य उर्वरक स्टाक का प्रेषण समितियों/बिक्री केन्द्रों को किया जायें।

(घ) फॉस्फेटिक उर्वरकों में जनपद में उन्हीं फास्फेटिक उर्वरकों (डीएपी/एनपीके 12:32:16) का पूर्व भण्डारण किया जायें जिसकी मांग सम्बन्धित जनपद में हो।

(च) प्रीपोजीशनिंग स्टाक के खराब होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भण्डारण करने वाली संस्था की होगी।

(छ) वर्ष 2019–20 में पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत रबी अभियान के अन्त में फास्फेटिक एंव यूरिया उर्वरक का अवशेष स्टाक वर्ष 2020–21 के लक्ष्य में सम्मिलित माना जायेगा।

(ज) उपरोक्त प्रस्तरों में शासनादेश संख्या 1346/49 –3 –2020–100 (9) /2012 दिनांक 15.06.2020 से किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में संदर्भगत शासनादेश के प्राविधान अन्तिम होंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुशासन के साथ समयान्तर्गत पालन करना सुनिश्चित करें।बिकी केन्द्रों पर समय से उर्वरक वितरण हेतु उपलब्ध रहे जिससे कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और इस पर शासन पर आने वाला व्यय भार भी न्यूनतम रहे। योजना के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक, सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, तथा जिला प्रबन्धक, पीसीएफ तथा इनके पर्यवेक्षण हेतु मंडल स्तर पर मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ पूर्ण रुप से उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

(एस0 वी0 एस0 रंगा राव)
आयुक्त एंव निबंधक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक सी:–07 कृषि निवेश /बी–302 दिनांकित।
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 सहकारी जूट संघ , लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/सचिव, अन्य परिवहन संस्थायें द्वारा सम्बन्धित सहायक आयुक्त ।
5. वित्त नियन्त्रक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्तीय सलाहकार, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक, सहकारिता मुख्यालयं ।
8. अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक (कम्प्यूटर) सहकारिता उ0प्र0, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0
12. अपर मुख्य सचिव, (सहकारिता), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, (कृषि), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
14. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

23/06/20

आयुक्त एंव निबंधक,
सहकारिता उ0प्र0
लखनऊ।